

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08032021-225704  
SG-DL-E-08032021-225704

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]	दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 2021/फाल्गुन 15, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 357
No. 85]	DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 2021/PHALGUNA 15, 1942	[N. C. T. D. No. 357

भाग IV  
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग  
अधिसूचना  
दिल्ली, 5 मार्च, 2021

फा.सं. 7(133)/डीएलबी/यूडी/2020/000611765/1898-1912.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 507 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल घोषणा करते हैं कि निम्न अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित गाँव के क्षेत्रों तथा कॉलम (2) में उल्लिखित राजस्व सम्पदा/जोन जो अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के भाग हैं उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से हटाया जाएगा और अब उन्हें शहरी क्षेत्र के रूप में माना जाएगा, अर्थात्:—

क्र० सं०	जिला एवं योजना क्षेत्र	गाँव का नाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम – 01 गाँव	शहरीकरण के क्षेत्रफल का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उत्तरी नरेला उप-शहर जोन पी-01	ईरादत नगर (नया बांस)	गाँवों की पुरानी अबादी के साथ-साथ पूरी राजस्व सम्पदा को भाहरी घोषित किया जाता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के नाम तथा उनके आदेशानुसार,  
अनिल कुमार, उप सचिव (स्थानीय निकाय)

**DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 5th March, 2021

**F. No. 7(133)/DLB/UD/2020/000611765/1898-1912.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 507 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957 (66 of 1957), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to declare that the area of village mentioned in column (3) of the Schedule below and falling in the revenue estate / zone mentioned in column (2), hitherto part of the rural area, shall, cease to be the rural area and shall be deemed as Urban area, namely:-

S.No.	District & Planning Zone	Name of village North DMC – 01 Village	Particulars of the Area Urbanised
(1)	(2)	(3)	(4)
1	North, Narela Sub-city Zone 'P-1'	Iradat Nagar (Naya Bans)	The old abadis as well as the entire Revenue Estate of the said village declared as Urban

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
ANIL KUMAR, Dy. Secy. (Urban Development)